संख्या– 2098/52–3–2014–सा(8)/2012

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

19083
16/10/14

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, लखनऊ : दिनांक 13 अक्टूबर, 2014

विषयः–प्रदेश के गैर अनुदानित अरबी तथा फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु मानक एवं शर्तों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–187/बावन–3–95–14(87)/95 दिनांक 25 जनवरी, 1996 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के गैर अनुदानित अरबी/फारसी मदरसों को प्रारम्भिक अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु अनुदान सूची पर लिये जाने के लिये पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों में संशोधित करते हुये निम्नांकित मानक एवं शर्तें निर्धारित करते हैं:–

(1) संबंधित विद्यालय की प्रबन्ध समिति 'सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत विधिवत पंजीकृत हो तथा नियमानुसार पंजीकरण का नवीनीकरण कराया गया हो।

(2) प्रबन्ध समिति को रजिस्ट्रार सोसायटी उ0प्र0 द्वारा विवाद ग्रस्त घोषित न किया गया हो, इसका प्रमाण पत्र।

(3) अरबी फारसी मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली 1987 के प्राविधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त मदरसों द्वारा मान्यता से पूर्व पंजीकरण कराया गया हो।

(4) वर्ष 2003 तक के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों से आवेदन प्राप्त कर उनके संबंध में विचार किया जायेगा।

(5) आवेदन करने वाले मदरसों के नाम से भूमि/भवन की खतौनी की नकल/सेल डीड/स्थानीय निकाय/वक्फ के केस में दफा 37 की नकल/कृषि योग्य भूमि के संबंध में खतौनी आदि विधिमान्य साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Azeem/G.O.

Scanned by CamScanner

भूमि पर संचालित है। शर्त यह है कि अनुदान हेतु आवेदन करने के कम से कम एक वर्ष पूर्व उपरोक्त बिन्दु (5) के अनुसार भूमि मदरसे के नाम करायी जा चुकी हो।

2– उपरोक्त मानक एवं शर्तें वर्तमान में 75 मदरसों को अनुदानित करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों तथा भविष्य में अनुदान सूची पर लिये जाने वाले मदरसों पर प्रभावी होंगे।

3– मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने के निमित्त समय–समय पर निर्गत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11–1208/दस–2014 दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या–2098(1)/52–3–2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. रजिस्ट्रार/निरीक्षक, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

Rnd.

(आर0एन0 द्विवेदी)
उप सचिव।

Azeem/G.O.

Scanned by CamScanner

संख्या–117/52–3–10–सा(3)/08

प्रेषक,

विमल चन्द्र श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2010

विषयः– वर्ष 2009–10 में 38 अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3402/अ0सं0क0नि0/मदअनु0/08 दिनांक 07.01.09 तथा 3491/अ0सं0क0नि0/मदअनु0/08 दिनांक 30.01.09 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा 38 अरबी फारसी मदरसों जिनकी सूची संलग्न है, को सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 01.02.2010 से अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त 38 मदरसों को नियमित वेतन भुगतान के लिये एक माह के व्यय हेतु रू0 58,04,994.00 (रू0 अटठावन लाख चार हजार नौ सौ चौरान्बे मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–मदरसा, शिक्षा संहिता के नियमों का पालन करेगा।

2–मदरसा, शिक्षा संहिता के अनुदान से संबंधित शर्तों का पालन करेगा।

3–मदरसा शासन के उन सभी आदेशों का पालन करेगा, जो शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा के संबंध में समय–समय पर निर्गत किये गये हों।

4–मदरसे में मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली–1987 यथासंशोधित–1998, 2000 एवं 2004 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्ति हों।

5–मदरसे द्वारा मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली–1987 में प्राविधानित नियम–22 एवं अन्य सुसंगत नियमों/प्राविधानों तथा शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये नियमानुसार अर्ह/पात्र शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी।

6–प्रदेश के गैर अनुदानित अरबी तथा फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु मानक एवं शर्तों के निर्धारण के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–187/वाचन–3–95–14(87)/95 दिनांक 25.01.1996 का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संवितरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मदरसा द्वारा उल्लिखित शर्तों का पालन कर लिया गया है। स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति संबंधी सुसगत नियमों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णरूपेण सुनिश्चित कराया जाय। किसी भी प्रकार के विचलन को तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। यदि कोई संस्था उक्त निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं करती है, तो उसे स्वीकृत

G.O.

Scanned by CamScanner

धनराशि का भुगतान न किया जाय और उसकी सूचना तुरन्त शासन को दी जाय। मानक के अनुसार एवं नियुक्ति के प्राविधानों के अनुरूप इन मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों पर अनुमोदन प्रदान किया जाय। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि नियुक्तियों का अनुमोदन नियमानुसार हो। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सुसंगत नियमों एवं प्राविधानों के विपरीत हुये अवैध एवं अनियमित नियुक्तियों को अनुमोदित न किया जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही को शासन गम्भीरता से लेगा।

4— जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसे में की गई नियुक्तियों के संबध में मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली 1987 यथा संशोधित 2000 एवं इस संबध में समय सभय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों तथा नियमों का पालन सुनिश्चित कराते हुये वेतन भुगतान किया जायेगा, इसमें किसी भी प्रकार के विचलन के लिये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5— उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009—10 के आय व्ययक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अनुदान संख्या—48 के "लेखाशीर्षक—2202—01—प्रारम्भिक शिक्षा—800—अन्य व्यय—10—सौ नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान—43—वेतन भत्ते के लिये सहायक अनुदान—आयोजनागत" के नामे डाला जायेगा।

6— उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—11—426/दस—10 दिनांक 28.02.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(विमल चन्द्र श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या—117(1)/52—3—10तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2—रजिस्ट्रार/निरीक्षक, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, उ0प्र0।

3—मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ, कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी/ इलाहाबाद/कन्नौज/ इटावा/गोरखपुर/ आजमगढ/भदोही/संतकबीरनगर/फतेहपुर/बलरामपुर/गाजीपुर/देवरिया/कुशीनगर/ जौनपुर/कौशाम्बी/बाराबंकी/महाराजगंज/बस्ती/बलिया/बरेली/बिजनौर/फिरोजाबाद।

4—वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

5—वित्त (ई—11) अनुभाग/ वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1/2/ अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग—1/नियोजन अनुभाग—4/शिक्षा अनुभाग—5

6—सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।

7—शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक)।

8—सम्बन्धित बेसिक शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

9—प्रबन्धक, मदरसा, अहयाउल उलूम घोसिया ओराई सन्तरविदास नगर, भदोही।(पजीकृत)

10—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अखलाक खाँ)
उप सचिव

Scanned by CamScanner

संख्या: 2917/बावन-3-2008-सा(3)/2008

प्रेषक,

अजय कुमार [illegible]
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश [illegible]

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2008

विषय:- आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त 100 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद (पूर्व नाम अरबी-फारसी मदरसा बोर्ड) से आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त 100 अरबी-फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वर्ष 1998 तक स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों से अनुदान हेतु प्रस्ताव प्राप्त किए जायें। अतः मान्यता वर्ष की ज्येष्ठता के दृष्टिगत वर्ष 1998 तक के आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों का अनुदान हेतु प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। उनमें से मानक पूर्ण करने वाले 100 मदरसों को वरिष्ठता क्रम में अनुदान सूची पर लिया जायेगा।

2- आलिया स्तर के स्थायी मान्तता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-187/बावन-3-95-14(87)/95, दिनांक 25 जनवरी,1996 में निम्नलिखित मानक/शर्तों का निर्धारण किया गया है :-

1. मदरसे की प्रबन्ध समिति, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत विधिवत् पंजीकृत हो तथा नियमानुसार पंजीकरण का नवीनीकरण कराया गया हो।

2. मदरसे की प्रबन्ध समिति को रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, उ0प्र0 द्वारा विवादग्रस्त घोषित न किया गया हो।

3. मदरसा रजिस्ट्रार, अरबी-फारसी परीक्षायें, उ0प्र0 द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त हो।

4. मदरसे में कुल छात्र संख्या 100 से कम न हों तथा आलिया की मान्यता प्राप्त प्रत्येक स्तर में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या 15 से कम न हो।

5. मदरसे में अरबी-फारसी मदरसों की नियमावली के अनुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यापक विधिवत् नियुक्त हों।

Scanned by CamScanner

6. रजिस्ट्रार, अरबी तथा फारसी परीक्षायें, उ0प्र0 द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित छात्रों का पिछले वर्ष का परीक्षाफल पचास प्रतिशत से कम न हो।

7. मदरसों का अपना निजी भवन हो एवं मदरसे की स्थायी मान्यता के समय निर्धारित शर्तों के अनुसार शिक्षण कक्ष पर्याप्त हों।

8. मदरसे में मानक के अनुसार देय पदों के सापेक्ष्य प्रत्येक अरबी-फारसी मदरसे में एक प्रधानाचार्य, एक लिपिक तथा एक अनुचर के अतिरिक्त आलिया कक्षाओं हेतु चार, फौकानिया हेतु तीन तथा तहतानिया हेतु पॉच अध्यापक हों। इस मानक से अधिक अध्यापकों की आवश्यकता पड़ने पर अथवा मदरसों के उच्चीकृत किए जाने पर पदों में वृद्धि की अनुमति शासन स्तर से अनिवार्य होगी।

3- शासनादेश दिनांक 25 जनवरी, 1996 की शर्त संख्या-1, 2 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत सोसाइटी पंजीकृत हो एवं उसका नवीनीकरण कराया गया हो तथा रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाए कि मदरसे की प्रबन्ध समिति में कोई विवाद नहीं है।

4- शासनादेश दिनांक 25 जनवरी, 1996 की शर्त 04 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि आलिया स्तर की मान्यता प्राप्त प्रत्येक स्तर में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 15 से कम न हो का आशय यह है कि मुंशी में कक्षा-9 में 15 छात्र तथा कक्षा-10 में 15 छात्र पंजीकृत हों। इसी प्रकार मौलवी में कक्षा-9 में 15 छात्र तथा कक्षा-10 में 15 छात्र पंजीकृत हों अर्थात् मुंशी/मौलवी में कुल छात्रों की संख्या-60 होनी चाहिये।

5- शासनादेश दिनांक 25-01-1996 की शर्त संख्या-5 में स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली अरबी तथा फारसी मदरसे, उत्तर प्रदेश 1987 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-320/बावन-3-98-2(46)/97, दिनांक 14-05-1998 एवं शासनादेश संख्या-1274/बावन-3-98-2(46)/97, दिनांक 19-07-2000 तथा 490/बावन-3-2004-2(46)/97, दिनांक 26 फरवरी, 2004 में विहित मानक/शर्तों के अनुसार अर्हता सम्पन्न शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्त हों।

6- शासनादेश दिनांक 25 जनवरी, 1996 में शर्त संख्या-6 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि पिछले वर्ष का परीक्षाफल 50 प्रतिशत का आशय यह है कि शिक्षा सत्र 2008 में सम्मिलित छात्रों के सापेक्ष परीक्षाफल से है। शर्त संख्या-7 के सम्बन्ध मे स्पष्ट किया जाता है कि निजी भवन का आशय मदरसे के नाम से भवन/भूमि हो तथा उस पर स्थायी मान्यता के समय नियमावली में निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षण कक्ष आदि निर्मित हों।

7- आलिया स्तर के 100 मदरसों को अनुदान पर लिये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्रदेश स्तर के अखबार में प्रकाशित कराया जाए तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को वर्ष 1998 तक के आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित मदरसों की सूची तत्काल उपलब्ध करायी जाए।

Scanned by CamScanner

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा अपने जिले में स्थित वर्ष 1998 तक आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित मदरसों से अनुदान हेतु आवेदन/प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में प्राप्त करके स्वयं स्थलीय/अभिलेखीय निरीक्षण कर प्रत्येक अभिलेख को अपने स्तर से अभिप्रमाणित किया जायेगा एवं अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव दो प्रतियां में प्रत्येक दशा में दो सप्ताह के अन्दर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अनुदान हेतु अनिच्छुक मदरसों के प्रबन्ध तंत्र से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करके उपलब्ध करायेंगे कि उन्हें राजकीय अनुदान नहीं चाहिए । यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अनियमित/अपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने की स्थिति में सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व्यक्तिगत रुप से पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

9- मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने के सम्बन्ध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों का निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 द्वारा मदरसों को अनुदान पर लिए जाने से सम्बन्धित प्रचलित सभी नियमों /विनियमों /नियमावली तथा शासनादेश संख्या-187/बावन-3-95-14(87)/95, दिनांक 25 जनवरी,1996 में विहित मानक/शर्तों के दृष्टिगत प्रस्तावों का परीक्षण करके तथा पूर्णरुप से आश्वस्त होते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव विलम्बतम एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

अजय कुमार जोशी
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 2917 (1)/बावन-3-2008-सा(3)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपिः रजिस्ट्रार/निरीक्षक, उ0प्र0, मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अखलाक खां)
उप सचिव

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

श्री मु॰ हलीम खाँ,
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक-26जनवरी 1998

विषय:-प्रदेश के गैर अनुदानित अरबी तथा फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने हेतु मानक एवं शर्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ०प्र० के पत्रांक 683/उर्दू/156(चार)/95-96, दिनांक 27-6-95 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल ने प्रदेश के गैर अनुदानित अरबी/फारसी मदरसों को प्रारम्भिक अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु अनुदान सूची पर लिये जाने के लिए निम्नांकित शर्तों का निर्धारण किया है:-

1- मदरसे की प्रबंध समिति/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत हो तथा नियमानुसार पंजीकरण का नवीनीकरण कराया गया हो।

2- मदरसे की प्रबंध समिति को रजिस्ट्रार, सोसायटीज, उ०प्र० द्वारा विवादग्रस्त घोषित न किया गया हो।

3- मदरसा रजिस्ट्रार/अरबी फारसी परीक्षायें, उ०प्र० द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त हो ।

4- मदरसे में कुल छात्र संख्या 100 से कम न हो तथा आलिया की मान्यता प्राप्त प्रत्येक स्तर से अध्ययनरत छात्रों की संख्या 15 से कम न हो ।

5- मदरसे में अरबी/फारसी मदरसों की नियमावली के अनुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यापक विधिवत नियुक्त हों ।

6- रजिस्ट्रार अरबी तथा फारसी परीक्षायें उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित छात्रों का पिछले वर्ष का परीक्षाफल पचास प्रतिशत से कम न हो।

7- मदरसों का अपना निजी भवन हो एवं मदरसे की स्थायी मान्यता के समय निर्धारित शर्तों के अनुसार शिक्षण कक्ष पर्याप्त हों ।

——2/

Scanned by CamScanner

मदरसे के मानक के अनुसार देय पदों के सापेक्ष प्रत्येक अरबीफारसी मदरसों में एक प्रधानाचार्य, एक लिपिक, तथा एक अनुचर के अतिरिक्त आलिया कक्षाओं हेतु चार, फोकानिया हेतु तीन, तथा तहतानिया हेतु पाच अध्यापक हों। इस मानक से अधिक अध्यापकों की आवश्यकता पड़ने पर अथवा मदरसों के उच्चीकृत किये जाने पर पदों में वृद्धि की अनुमति शासन स्तर से अनिवार्य होगी।

भवदीय

ह0/=

(मु. हलीम खाँ)
सचिव।

संख्या-187(1)/बावन-3-14(87)/95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, रजिस्ट्रार/निरीक्षक, अरबी/फारसी मदरसाज, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ह0/=

(मु. हलीम खाँ)
सचिव

Scanned by CamScanner